THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU); (a) and (b) Yes, Sir. Indian Telecom Private Limited, one of the Modi Companies, had submitted their bid for operation of Cellular Mobile Radio Telephone Service in four Metro Cities. The Australlian Overseas Telecommunication Corporation is colleborator in the bid.

कानपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2751. **श्री राम गोपाल यादव :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने लोगों ने आज तक आवेदन किया है/पंजीकरण कराया है ;

(ख) पंजीकरण कराये हुए लोगों में से कितने लोगों को अब तक नये कनेक्शन प्रदान किये गये हैं और कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ग) क्या प्रतीक्षारत लोगों को 1992 तक कनेक्शन प्रदान कर दिये जायेंगे, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) 1-4-92 को कानपुर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कुल 13140 आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे।

(ख) 1-4-93 से 30-6-92 के बीच 1151 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे। प्रतीक्षा सूची के आंकड़े ऊपर भाग (क) के उत्तर में दिए गए हैं

(ग) जी नहीं।

(घ) 10,000 लाइन एक्सचेंजों के संस्थापन की योजना है और 31-12-92 से पूर्व इनके संस्थापित किए जाने के बावजूद भी प्रतीक्षा सूची को पूरी तरह नहीं निपटाया जा सकता :

नारायण समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

2752. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1991 में श्री जी०टी० नारायण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था और प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है और ;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1991 को प्रस्तुत कर दी है और यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित मूल्य वर्धित तथा दूरसंचार सेवाओं का संचालन कार्य विधिवत रूप से प्राधिकृत विशेष विक्रय अधिकार धारक द्वारा किया जा सकता है।

(1) सेल्यूलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन।

(2) रेडियो पेजिंग।